केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली – 110001
फोन: 23353503, फैक्स: 23753923

याचिका सं. 89/टीएल/2021 दिनांक : 30.4.2021

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

रामगढ़ न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड, बी–9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली – 110 016 द्वारा निम्नलिखित घटकों को सम्मिलित करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और रखरखाव (बीओओएम) आधार (इसके बाद "परियोजना" के रूप में उल्लिखित) पर "फेस–।।–भाग क के अधीन राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1 जीडब्ल्यू) से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना" के लिए पारेषण प्रणाली की स्थापना हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 15 की उप–धारा (1) के अधीन आवेदन किया गया है

क्र. सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी
1	420 किलोवाट (2x125 एमवीएआर) बस रिएक्टर के साथ रामगढ़–।। (फतेहगढ़–।।।) पीएस पर 400/220 किलोवाट, 4x500 एमवीए की स्थापना	18 मास
2	रामगढ़–।। (फतेहगढ़–।।।) पीएस – फतेहगढ़–।। पीएस 400 किलोवाट डी/सी लाईन (ट्विन एचटीएलएस*)	
3	रामगढ़–।। (फतेहगढ़–।।।) पीएस – फतेहगढ़–।। पीएस 400 किलोवाट डी/सी लाईन के लिए फतेहगढ़–।। पर 400 किलोवाट लाईन बे की 2 संख्या	
4	रामगढ़–।। (फतेहगढ़–।।।) पीएस – जैसलमेर–।। (आरवीपीएन) 400 किलोवाट डी/सी लाईन (ट्विन एचटीएलएस*)	
5	रामगढ़–।। (फतेहगढ़–।।।) – जैसलमेर–।। 400 किलोवाट डी/सी लाईन के लिए जैसलमेर–।। पर प्रत्येक 400 किलोवाट लाईन बे की 2 संख्या	

*नॉमिनल वोल्टता पर प्रत्येक सर्किट पर 2100 एमवीए की न्यूनतम क्षमता के साथ

2. आवेदनकर्ता का चयन अधिनियम की धारा 63 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड द्वारा की गई प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर रुपए 390.53 मिलियन प्रति वर्ष के निम्नतम स्तरीकृत पारेषण प्रभारों के साथ पारेषण सेवा प्रदाता के रूप में किया गया है।

3. केन्द्रीय पारेषण कंपनी ने प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना करने के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु सिफारिश की है।

4. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर आयोग ने याचिका संख्या 89/टीएल/2021 मे दिनांक 29.4.2021 के आदेश द्वारा ऊपर पैरा 1 में यथा उल्लिखित पारे ण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।

5. रामगढ़ न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतर–राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए आवेदन और इसके संलग्नकों और अनुलग्नकों की प्रति वेबसाइट www.powergrid.in से प्राप्त की जा सकती है या निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके आयोग के कार्यालय में किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित की जा सकती है।

6. अधिनियम की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदक, यथोपरोक्त, को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के आयोग के प्रस्ताव के प्रति सुझाव या आपत्तियाँ, यदि कोई हो, ऊपर दिए गए पते पर दिनांक 14.5.2021 तक अधोहस्ताक्षरी को भेजे जा सकते हैं।

7. आयोग द्वारा आवेदन पर आगे की सुनवाई के लिए सही अनुक्रम में विचार किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो अपने सुझाव या आपत्तियां दर्ज करता है, अपने विवेक से सुनवाई में सम्मिलित हो सकता है, जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए /डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(सनोज कुमार झा)
सचिव